राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : .....1668/2014..... जिला : .....जोधपुर.....

उनवान : श्रीमती गुटकी पत्नी देवाराम पुत्री चूनाराम जाट गावं बासनी बॉकलिया बनाम उप–पंजीयक–द्वितीय, जोधपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2014	**एकलपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव अध्यक्ष** निगरानीकर्त्ता के वकील श्री गौरव दवे एवं विभागीय पैरोकार श्री जमील जई उपस्थित। प्रकरण की ग्रहयता के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सूनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998, की धारा 65 के अनुसार कलेक्टर के विवादित आदेश दिनांक 28.07.2014 द्वारा आरोपित मुद्रांक कर व पंजीयन शूल्क की 25 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा करा दी गई है तथा निगरानी समाय अवधि में पेश की गई है। अतः प्रकरण को सुनवाई हेतु ग्रहण किया जावे। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि कलेक्टर द्वारा 28.07.2014 को आदेश पारित करते हुए कुल रू0 1,51,661/– जमा कराने का आदेश पारित किया गया था उस आदेश को दिनांक 05.08.2014 को संशोधित करते हुए कुल रू0 4,46,640/– वसूल करने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2014 मे विवादित राशि रू0 1,51,661/– का 25 प्रतिशत राशि जमा कराई गई है, जबकि प्रार्थी को दिनांक 05.08.2014 में विवादित राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा करानी चाहिये थी। अतः निर्धारित राशि जमा नहीं होने की दशा में निगरनी पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.07.2014 के विरूद्व निगरानी पेश की गई है जबकि प्रार्थी को संशोधित आदेश दिनांक 05.08.2014 के विरूद्व निगरानी पेश की जानी चाहिये थी। इन दोनो ही परिस्थितियो में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.07.2014 के विरूद्व निगरानी पेश की गई है तथा इसी आदेश में आरोपित राशि की 25 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराई गई है जबकि कलेक्टर द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 05.08.2014 को पारित कर दिया गया था तथा प्रार्थी को इस आदेश में विवादित राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी चाहिये थी। अतः यह पीठ इस निणर्य पर पहुंची है कि मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु निर्धारित राशि जमा नहीं कराई गई है। इसके फलस्वरूप निगरानी पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। फलतः प्रस्तुत निगरानी पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निणर्य सुनाया गया। (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष	